

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, सहायक निदेशक, खेल कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय, सहायक निदेशक, खेल कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी के माह 05/2016 से 05/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्न राम, ले.प. द्वारा दिनांक 19.06.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

#### भाग-I

1). परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीगण द्वारा दिनांक 20.06.2016 से 23.06.2016 तक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2013 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: 1. खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन 2. खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 3. आवासीय क्रीड़ा छात्रावास 4. क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण

2. भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- जनपद नैनीताल

3. इकाई को बजट आवंटन का स्रोत- राज्य सरकार

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	52.32	52.29	58.75	58.70		
2015-16	-	-	57.82	57.82	67.35	67.35		
2016-17	-	-	67.88	67.85	59.85	59.85		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रु. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिव्यय (+)	बचत (-)
-----शून्य-----					

- (ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

- |                 |                            |                             |                      |                  |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. सचिव         | 2. निदेशक                  | 3. अपर निदेशक               | 4. संयुक्त निदेशक    | 5. उप-निदेशक     |
| 6. सहायक निदेशक | 7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | 8. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | 9. प्रशासनिक अधिकारी | 10. प्रधान सहायक |

- (iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय, सहायक निदेशक, खेल कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण कार्यालय, सहायक निदेशक, खेल कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अक्टूबर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया □

- (iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ..... लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत रू. 11.23 लाख धनराशि का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के निर्देश सं. 3(1) के अनुसार समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाये, ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। निर्देश सं. 3(2) के अनुसार जब तक इन नियमों अतला विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाय, समस्त अधिप्राप्तियों निविदा के माध्यम से कीजायेगी। निर्देशसं. 3(5) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चयनित मद सभी आवश्यकताओं की सभी प्रकार के पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है।

कार्यालय के निविदा/कोटेशन/क्रय संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा माह अक्टूबर 2016 में विभिन्न खेल सामग्री/पुरस्कार सामग्री हेतु निविदा की गई। एवं उसमें चार फर्म क्रमशः मै. पुनेठा स्पोर्ट्स, पिथौरागढ़ मै. भावना इण्टरप्राइजेज, काशीपुर, मै. मेहरोत्रा स्पोर्ट्स, रामनगर एवं मै. कन्याल स्पोर्ट्स बनवला के आपूर्ति हेतु चयनित किया गया। जांच में पाया गया कि रू. 8,20,375/- धनराशि की सामग्री निविदा से पूर्व माह अप्रैल 2016 से अक्टूबर तक क्रय की गई एवं रू. 3,02,974/- धनराशि की सामग्री निविदा के पश्चात माह नवम्बर 2016 से मार्च 2017 तक क्रय की गई। उपरोक्त रू. 11,23,349/- धनराशि में एक भी सामग्री निविदा में चयनित फर्म से क्रय नहीं की गई। समस्त सामग्री चयनित फर्मों से उत्तर अन्य फर्मों से क्रय की गई। (संलग्नक 1 एवं 2)

जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि अधिकतर क्रय की गई सामग्री को निविदा के समय सामग्री की सूची में सम्मिलित नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि बजट नहीं प्राप्त होने के कारण निविदा दरे से की गई एवं तब तक सामग्री पूर्व में तय की गई दरों के अनुसार क्रय की गई। निविदा में चयनित फर्मों के क्रय किये जाने के संबंध में इकाई ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि क्रय के दौरान अधिप्राप्ति नियमावली का पालन नहीं किया गया। इकाई ने उत्तर में कहा कि भविष्य में क्रय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों के विपरीत रू. 11.23 लाख की क्रीड़ा/पुरस्कार सामग्री क्रय किये जाने का प्रकरम संज्ञान में लाया जाता है।

सलंगनक-1

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता नाम	वित्त सं.	धनराशि
1.	कमल स्पोर्टस	No. 08	19950/-
2.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज		48311/-
3.	हर्जित स्पोर्टस	No. 11	36750/-
4.	कमल स्पोर्टस	No. 19	39690/-
5.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	No.	32886/-
6.	हर्जित स्पोर्टस	No. 40	25977/-
7.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	No. 13	13388/-
8.	कमल स्पोर्टस	No. 73	9975/-
9.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	No. 37	33206/-
10.	याशीस स्पोर्टस वर्ल्ड	No. 467	5250/-
11.	आदिनी एप्रियल	No. 20	12803/-
12.	आदिनी एप्रियल	No. 21	12803/-
13.	कमल स्पोर्टस	No. 93	25935/-
14.	दीपक स्पोर्टस	No. 437	45719/-
15.	कमल स्पोर्टस	No. 112	9975/-
16.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	No. 68	35647/-
17.	कमल स्पोर्टस	No. 120	26460/-
18.	हरजीत स्पोर्टस	No. 66	16380/-
19.	याशीस स्पोर्टस वर्ल्ड	No. 471	1280/-
20.	कमल स्पोर्टस	No. 125	18900/-
21.	आदिनी अप्रियल	No. 22	68512/-
22.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	No.	1991/-
23.	याशीस स्पोर्टस वर्ल्ड	No. 472	12803/-
24.	याशीस स्पोर्टस वर्ल्ड	No. 473	92452/-
25.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	No.	12023/-
26.	कमल स्पोर्टस	No. 133	8400/-
27.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	No. 88	16727/-
28.	हरजीत स्पोर्टस	No. 78	3780/-
29.	याशीस स्पोर्टस वर्ल्ड	No. 477	12803/-
30.	कमल स्पोर्टस	No. 246	9975/-

31.	हरजीत स्पोर्टस	No. 77	12994/-
32.	याशीस स्पोर्टस वर्ल्ड	No. 476	12803/-
33.	कमल स्पोर्टस	No. 255	37057/-
34.	हरजीत स्पोर्टस	No. 82	35230/-
कुल योग			<b>8,20,375/-</b>

सलंगनक-2

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता नाम	वित्त सं.	धनराशि
1.	कमल स्पोर्टस	297	9975
2.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	134	35963
3.	कमल स्पोर्टस	356	9975
4.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	127	20948
5.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	129	7140
6.	कमल स्पोर्टस	358	12983
7.	कमल स्पोर्टस	355	12983
8.	याशीस स्पोर्टस वर्ल्ड	483	12820
9.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	138	2999
10.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज		2999
11.	कमल स्पोर्टस	384	48495
12.	कमल स्पोर्टस	383	17456
13.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	141	900
14.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	156	10395
15.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज	158	3285
16.	कमल स्पोर्टस	392	9975
17.	कमल स्पोर्टस	411	20948
18.	कमल स्पोर्टस	428	18375
19.	अनूप इन्ट्रप्राइजेज		2990
20.	कमल स्पोर्टस	429	14963
21.	कमल स्पोर्टस	438	26407
कुल योग			<b>3,02,974</b>

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- रू. 4.12 लाख की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष के स्थान पर जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के बैंक खातों में जमा करना।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं. एस.पी.-3403/बयालिस-93-355/एस.पी./79 दिनांक 09 मई 1994 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 130/VI/2016-33(36)/2013 दिनांक 08 फरवरी 2016 में स्पष्ट रूप से वर्णित है, कि सरकारी क्रीडागनों/तरनतलों/आवासीय कमरों से प्राप्त आय को विभागीय प्राप्ति लेखाशीर्ष 0202- शिक्षा-खेलकूद कला तथा संस्कृति-03-खेलकूद और युवा सेवार्य-101- शारीरिक शिक्षा खेलकूद और युवा कल्याण-01- खेलों और युवक कल्याण क्रिया कलाओं से प्राप्तियां के अंतर्गत नियमित रूप से जमा कराया जाता रहेगा।

कार्यालय के अंतर्गत संचालित तरणताल शुल्क सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्त वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक तरजताल में तैराकी शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि में से रू. 4,12,100/- की धनराशि जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के बैंक खाते में जमा की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि उक्त धनराशि को शासनादेशों में वर्णित सुसंगत लेखाशीर्ष से उत्तर जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के बैंक खाते में किस आदेश अथवा स्वीकृति के अंतर्गत किया गया, इकाई ने उत्तर दिया जायेगा इकाई ने यह भी उत्तर दिया कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क राजस्व में जमा कर दिया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट अंकित है कि समस्त आय सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त राजस्व/शुल्क संबंधी कोई भी आदेश इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अतः तरजताल से प्राप्त आय को विभक्त कर रू. 4.12 लाख की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष के स्थान पर जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के बैंक खातों में जमा कराने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
29	2016-17	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति



भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-Vआभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, सहायक निदेशक, खेल कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएं: शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अख्तर अली	प्र. सहायक निदेशक	07.12.12 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, सहायक निदेशक, खेल कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे [उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006] को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
(सामाजिक क्षेत्र)